`Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA

[Supply Appeal No.- 17/2025]

Anita Devi ....Appellant/Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Ors.…………..…........................Respondent.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	13.11.2025	**आदेश** यह Supply अपील वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा रिट याचिका संख्या-23597/2018 में दिनांक-24.02.2025 को पारित आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, पूर्णिया की अध्यक्षता में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के तहत नयी अनुज्ञप्ति हेतु चयन समिति की दिनांक-29.09.2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही में Petitioner को PDS dealer (प्रखंड-जलालगढ़, पंचायत-रामदैली) के रूप में चयन नहीं करने के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। अपीलार्थी की ओर से Written Note of Argument दाखिल है। LCR प्राप्त है। दिनांक-05.11.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। अपीलार्थी का कहना है कि उनके एवं विपक्षी पूनम कुमारी द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन दाखिल किया गया। तथा यह कि चयन संबंधी संगत नियमों के आलोक में कम्प्यूटर ज्ञान वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जानी है। उनके द्वारा अपने आवेदन के साथ कम्प्यूटर ज्ञान प्रमाण पत्र (ADCA) दाखिल किया गया था जबकि विपक्षी पूनम कुमारी द्वारा ऐसा कोई प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया गया। किन्तु जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा गलत ढ़ंग से विपक्षी पूनम कुमारी का नियमविरूद्ध चयन किया गया। अपीलार्थी की ओर से तदनुसार विपक्षी पूनम कुमारी के PDS dealer के अनुज्ञप्ति को रद्द करते हुए उनके पक्ष में अनुज्ञप्ति निर्गत करने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी पूनम कुमारी की ओर से वाद पत्र में लगाये गये आरापों को गलत एवं बेबुनियाद बताया गया किन्तु उनके द्वारा सुनवाई में कोई साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया गया। सुनवाई में विपक्षी पूनम कुमारी की ओर से अपने आवेदन के साथ कम्पुटर प्रमाण पत्र दाखिल करने संबंधी कोई साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया गया है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि आवेदन पत्र के साथ अपीलार्थी अनिता देवी द्वारा कम्प्युटर ज्ञान प्रमाण पत्र (ADCA) भी दाखिल किया गया था, जबकि पूनम कुमारी द्वारा केवल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र समर्पित किया गया था। बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के धारा-9(V) में यह उल्लेख है कि "उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और वयस्क होगा : परन्तु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।" अतः उपरोक्त नियम के अनुसार आवेदन पत्र के साथ कम्प्युटर ज्ञान प्रमाण पत्र (ADCA) दाखिल करने वाले अपीलार्थी अनिता देवी का चयन विधि-सम्मत होना चाहिए था, किन्तु दिनांक-29.9.2018 में आयोजित जिला चयन समिति की बैठक में विपक्षी पूनम कुमारी पति-प्रमोद कुमार मंडल का नियमविरूद्ध चयन किया गया तथा इसका कोई कारण कार्यवाही में अंकित नहीं किया गया है। जो गलत कार्यकलाप का द्योतक है।	

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

P.

13.11.2025	अतः उपरोक्त के आलोक में इस अपील वाद को स्वीकृत करते हुए निम्नांकित आदेश दिया जाता है :- 1. अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, सदर पूर्णिया को आदेश दिया जाता है कि उक्त जन वितरण प्रणाली विक्रेता के रूप में विपक्षी पूनम कुमारी को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए अपीलार्थी अनिता देवी को चयन पत्र निर्गत करते हुए अनुवर्ती कार्रवाई की जाय। 2. जिला पदाधिकारी, पूर्णिया को आदेश दिया जाता है कि दिनांक-29.09.2018 के चयन समिति की बैठक में गलत तथ्य प्रतिवेदित करने वाले तत्कालीन सदस्य सचिव तथा तत्कालीन अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर पूर्णिया के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए 15 दिनों के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। आदेश की प्रति LCR के साथ संबंधित पदाधिकारी को भेजें। Pushpa K. 13/11/25. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया लेखापित एवं शुद्धित। Pushpa K. 13/11/25. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया